

झारखण्ड सरकार,
कार्यपालिका, प्रशासनिक सुचार तथा राजभाषा विभाग ।

-:: अधिसूचना ::-

रांची, दिनांक-14/नवम्बर, 2005

3890

संख्या-7/विधि०विधि०सं०-03-97/2005 का०...../ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (फैस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- (3) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
- (ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रूपए का आवेदन फैस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी ।

4. धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फैस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :-

- (क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 वा ए-3 आकार) कागज के लिए दो रूपए;
- (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;
- (ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और


(व) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए करें फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके बाग) के लिए पांच रूपए की फीस।

5. धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेश होगा, प्रभारित की जाएगी : -

(क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपए; और


(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपए।

झारखण्ड राज्यपाल के अधीन से,


(मुख्यमंत्री),
सरकार के प्रश्न सचिव।

शापांक-7/विभिन्न सं-03-97/2005 का 3890... तारंगी, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- झारखण्ड सचिवालय मुद्रणालय, डोरप्पा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतिशत इस विभाग को उपलब्ध कराने की वृत्ति की जाए।


सरकार के प्रश्न सचिव।

शापांक-7/विभिन्न सं-03-97/2005 का 3890... तारंगी, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी निगम/निकाय/उपक्रम/गैर सरकारी संस्थाएं को सूचनार्थ एवं आवश्यकता के बाहर इन्हें प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।